चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः PA/1069।
दिनांक : 21.03.2024

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः—स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टेबलेट वितरण के सम्बन्ध मे।

महोदय/महोदया,

कृपया अपर जिलाधिकारी, (वि0/श0) मेरठ के पत्र संख्या 840/सात—भूलेख/एल0आर0सी0 2023-24 दिनांकः—12.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत स्माट/टेबलेट के वितरण हेतु वरीयता का पूर्ण निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध मे है। कतिपय महाविद्यालय/संसथान के पात्र छात्र/छात्राओ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वे सत्र 2022—23 तथा 2023—24 मे अपना यू0जी0 कोर्स पूर्ण कर चुके है या अपने अन्तिम वर्ष मे अध्ययनरत है एवं स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के नियमानुसार सभी छात्र/छात्राऐं स्मार्टफोन के पात्र योग्य है को उक्त योजना का लाभ प्राप्त नही हुआ है तथा उनके द्वारा सम्पर्क कर स्मार्टफोन दिलाये जाने की मांग की जा नही है।

अतः उक्त के कम में अपर जिलाअधिकारी मेरठ के संलग्नक पत्र के आलोक मे आप स्पष्ट करें कि आपके माहाविद्यालय/संस्थान के अंतिम वर्ष मे अधययनरत पात्र. छात्र/छाताओं को स्मार्टफोन /टेबलेट अभी तक प्राप्त कर वितरण क्यों नही किये गये है जबकि शासन स्तर से लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि पात्र छात्र/छात्राओं को स्मार्टफोन/टेबलेट उपलब्ध करा दिये जाये। आपके द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को शासन के निर्देशों के अनुपालन मे स्मार्टफोन/टेबलेट उपलब्ध कराये जाने मे लापरवाही बरती जा रही है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्काल आख्या प्रस्तुत करें

संलग्नक उपरोतानुसार :—

भवदीय
21.03.2024
कुलसचिव

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :—</u>

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. क्षेत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
03. प्रभारी वैबसाईट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।

कुलसचिव

R12180
15/3/24

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
(भूलेख अनुभाग)

पत्रांक 840 सात–भूलेख / एल0आर0सी0 / 2023–24 दिनाक/2 मार्च–2024

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / नोडल अधिकारी (स्मार्टफोन / टेबलेट)
मेरठ।

विषय– स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत स्मार्टफोन / टेबलेट वितरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के पात्र छात्र / छात्राओं को स्मार्टफोन / टेबलेट वितरण हेतु प्रदान किये जाने हैं। जिसमें आपके संस्थान के पात्र छात्र / छात्राओं के द्वारा अवगत कराया गया है कि वह सन् 2022–23 तथा 2023–24 में अपना यू0जी0 कोर्स पूर्ण कर चूके है या अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत् हैं। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के नियमानुसार सभी छात्र / छात्राएँ स्मार्टफोन के पात्र योग्य है परन्तु आपके संस्थान के कुछ पात्र छात्र / छात्राओं द्वारा अवगत कराया हैं, कि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा मोबाईल फोन पर काल कर स्मार्टफोन दिलवाये जाने की माँग की जा रही हैं।

पत्र संख्या 1862/77–1–2024 दिनांक 03-01-2024 औद्योगिक विकास अनुभाग–1 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत टेबलेट पीसी तथा स्मार्टफोन के वितरण हेतु वरीयता का पूर्ण निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत वरीयता का निर्धारण किया गया है,

1– प्रथम चरण में पात्रता को पूर्ववत रखते हुये विभागों संस्थाओं के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी जोकि अपने अध्ययनरत कोर्स के अंतिम वर्ष में व पढ़ रहे हैं अथवा जिनके कोर्स की अवधि एक वर्ष अथवा उससे कम है, को वरीयता देते हुये प्राथमिकता पर उन्हें टैबलेट पीसी स्मार्टफोन वितरित किये जाये। जनपद मेरठ में स्थित संस्थाओं में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के लाभार्थियों (छात्र / छात्राएँ) जिन्हें स्मार्टफोन / टेबलेट प्राप्त नहीं हुआ है अवशेष है लेकिन संस्थान से लोक होने पश्चात् वितरण हेतु पात्र लाभार्थियों की सूची डिजिशक्ति के जनपद पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है जिस कारण स्मार्टफोन सम्बन्धित संस्थानों को वितरण हेतु उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

2– डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध प्रथम चरण के शत–प्रतिशत लाभार्थियों के मध्य सम्बन्धित संस्थान द्वारा टैबलेट पीसी स्मार्टफोन का वितरण (पोर्टल पर वितरण मार्किंग के अनुसार) कर दिये जाने के पश्चात् द्वितीय चरण में उस संस्थान के प्री–फाइनल ईयर के लाभार्थियों के लिय टैबलेट पीसी / स्मार्टफोन जनपद द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये उपलब्ध कराये जायें कि उस जनपद के अधीन सभी संस्थानों को प्रथम चरण के लाभार्थियों को पोर्टल परे उपलब्ध छात्र / छात्राओं को स्मार्टफोन अधिकांश उपलब्ध करा दिये गये हैं।

यदि किसी स्थिति में जनपद में प्रथम वर्ष की वरीयता वाले लाभार्थी उपलब्ध हैं फिर भी उपरोक्तानुसार द्वितीय चरण के लाभार्थियों को उपकरण उपलब्ध कराये जाने आवश्यक हों तो इस विकल्प का उपयोग विशेष परिस्थिति में तभी किया जाये जब उपरोक्त बिन्दु–1 के अनुसार प्रथम चरण के लाभार्थियों को किसी कारणवश उपकरण वितरित किया जाना सम्भव न हो पा रहा हो। ऐसी स्थिति में जनपद के जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा कारण स्पष्ट करते हुये हस्ताक्षरित प्रपत्र की प्रति अपलोड करने के उपरान्त ही द्वितीय चरण के लाभार्थियो के लिये जनपद द्वारा पोर्टल के माध्यम से उपकरण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

अतः उक्त पत्र आपको इस आशय से भेजा जा रहा कि कृपया स्पष्ट करें कि आपके कॉलेज के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत् पात्र छात्र / छात्राओं को स्मार्टफोन / टैबलेट अभी तक प्राप्त कर वितरण क्यों नहीं किया गया, जबकि शासन स्तर 03/01/2024 के पत्र संख्या 1862/77-1-2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन स्तर से पात्र छात्र / छात्राओं को स्मार्टफोन / टेबलेट उपलब्ध कराने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि आपके द्वारा शासन के निर्देशों का अनुपालन करने में लापरवाही बरती जा रही हैं।

अतः उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये तत्काल आख्या प्रस्तुत करें।

I/c (Office)
15-03-24

Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

(26)

(सूर्यकान्त त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
मेरठ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी मेरठ महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– रजिस्ट्रार आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– रजिस्ट्रार सूभारती विश्वविद्यालय मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– रजिस्ट्रार शोभित विश्वविद्यालय मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

LRC
8406

11/03/24

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
मेरठ।